पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 67/18

अनवान : 1. मुकेशकुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. पवनकुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बस्ती जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. जगदीश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. सिलोचना पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. बाधोदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. रीनु पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 नेठराना में वकीलवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 बीआरडब्लू के खाता सं० 81/79 के मु० न. 26 के किला न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, कुल 2.530 हैक्टर नहरी तथा इसी चक के खाता सं. 82/80 के मु० न. 27 के किला न. 1 ता 10, मु० न० 28 के किला न. 1,10, की कुल 3.036 हैक्टर नहरी में रामस्वरूप का 200 हिस्सा में प्रतिवादी रामस्वरूप का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर दानों खातों की कुल भूमि में वादीगण 1 व 2 को 2.530 हैक्टर व प्रतिवादी सं. 1 को 1.265 हैक्टर व प्रतिवादी 2 को 1.265 हैक्टर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं. 3 ता 5 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे।खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ